

“कृषि का स्तर एवं ग्रामीण परिवेश” (हनुमानगढ़ तहसील के संदर्भ में)

डॉ० राजेन्द्र कुमार मेघवंशी
सहायक आचार्य कला विभाग
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा हनुमानगढ़ (राज०)

कुलदीप
शोधार्थी, भूगोल विभाग
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा हनुमानगढ़ (राज०)

प्रस्तावित शोध की प्रस्तावना

हनुमानगढ़ जिला भारतीय महान मरुस्थल के संक्रमण के घग्घर बेसिन का ही भू-भाग है। इस प्रदेश की स्थलाकृति का निर्माण भूतकालीन जल प्रवाह तथा वर्तमान में शुष्क दशाओं के अन्तर्गत हुआ है। इससे क्षेत्र के धरातल के कुछ भागों में स्थायी और अस्थायी बालुका स्तूप हैं। ऐसे भागों से वायुअपरदन और अपवाहन क्रिया से सतही मृदा का अन्यत्र प्रवाह हुआ है। ग्रीष्मकालीन उच्च तापमान, उच्च दैनिक तापान्तर, न्यून और अनिश्चित वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, धूलभरी आँधियाँ तथा शुष्क शीत ऋतु क्षेत्र की प्रमुख जलवायुगत विशेषताएँ हैं।

इस जिले में मृदाएँ मुख्यतः एल्युवियल हैं। कुछ स्थानों पर एल्युविल चूना युक्त मृदायें पायी जाती हैं। भूमि का पी. एच.मान. 8 से 8.5 या इससे अधिक है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में अधिक जल उपयोग व जल रिसाव के कारण कुछ क्षेत्रों में जल भराव व लवणीय-क्षारीयता की समस्या है।

हनुमानगढ़ जिला अपनी सिंचित कृषि, बूंद-बूंद सिंचाई तथा कृषि पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। गहन कृषि, मिश्रित कृषि के प्रतिरूप तथा नगदी फसलो जैसे कपास, तिलहन (सरसों, मूंगफली), चावल आदि के साथ बागानी कृषि के उत्पादन ने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को गति प्रदान की है। सिंचाई विकास के परिणामस्वरूप जिले की राजस्थान राज्य में गेहूँ तथा कपास पेटी के रूप में पहचान बनी है।

प्रस्तावित शोध के सोपान

तहसील के देहात केन्द्रों का विवरण मुख्य द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सिंचित कृषि क्षेत्र होने से तहसील में अधिवासों का विवरण लगभग समरूप पाया जाता है। तहसील के 160 देहातों (5 अधिवास हनुमानगढ़ के समीप होने से छोड़ दिये गये हैं) के मध्य 1.5 मूल्य है जो अल्प समरूपीय बसाव को प्रदर्शित करता है।

तहसील के उत्तरी पूर्वी भाग (हनुमानगढ़ नगर के संदर्भ में) का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1.345 है। इसमें द्वितीय श्रेणी के 12 गांव हैं। प्राथमिक इकाईयों के मध्य इन केन्द्रों से औसत दूरी 3 पाई जाती है।

तहसील के पश्चिमी भाग में मूल्य 1.8 है। यह संयत समरूपीय अधिवासों की स्थिति को बताता है। इस क्षेत्र का कुल भौगोलिक 1230 किलोमीटर तथा अधिवासों के मध्य औसत दूरी 3.6 किलोमीटर है। राजस्थान के समीपवर्ती गांवों में बालुका विस्तार तथा कुछ देहातों के असिंचित होने से औसत दूरी अधिक पाई जाती है।

दक्षिणी भाग का आर.एन. मूल्यस 1.54 है। 314 वर्ग किलोमीटर इस भाग में 30 अधिवास आते हैं। जिनके मध्य औसत दूरी 2.5 किलोमीटर पाई जाती है।

| इकाई | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | वन | हनुमानगढ़ तहसील – कुल भूमि उपयोग 1981 | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | सिंचाई | अतिरिक्त मय पड़त भूमि | कृषि योग्य बंजर (गोचर) | कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि |
| हनुमानगढ़ तहसील | 264050-02 (100.00) | 531.47(.12) | 150915.42 (57.15) | 90189.61 (34.15) | 2258.42 (.85) | 20155.10 (7.63) |
| हनुमानगढ़ जिला | 660227.31 | 531.47 | 423958.51 | 176741.39 | 6749.42 | 52256.52 |

स्रोत : भारत की जनगणना, जिला हनुमानगढ़, हैड बुक 1981 सिरीज 6

प्रस्तावित शोध का महत्व

जिस प्रकार जिले में औसत कृषि भूमि उपयोग राज्य की अपेक्षा अधिक है। उसी प्रकार राज्य में कुछ फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला है। पिछले दशकों में कृषि तकनीक के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। जहां अमेरिकन कपास 2004-05 में 291817 मीट्रिक टन उत्पादन था, वहीं बढ़कर 2007-08 में 345000 मीट्रिक टन हो गया, जो वर्तमान 2009-10 में 536024 मीट्रिक टन का अनुमान लगाया जा रहा है। देशी कपास का उत्पादन 2004-05 में 83090 मीट्रिक टन था, वहीं 2009-10 में 135000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ग्वार के उत्पादन की भी पिछले 6 वर्षों में वृद्धि हुई है, जो 2004-05 में 13046 मीट्रिक टन थी, वहीं 2008-09 में 282807 टन हो गया।

रबी की फसलों में भी जिले में पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि चना में आशातीत दर से हुई है। चने का उत्पादन 2004-05 में जहां 48346 मीट्रिक टन था, वहीं 2008-09 में बढ़कर 132275 मीट्रिक टन हो गया। इसके अतिरिक्त गेहूँ के उत्पादन में 485020 से बढ़कर 2008-09 में 648550 मीट्रिक टन हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी फसलें भी हैं, जिसमें उत्पादन में वृद्धि के स्थान पर कमी देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में कपास, मोठ, तारामीरा आदि हैं। यहां पर तारामीरा 2004-05 में 52463 मीट्रिक टन था, वहीं घटकर 4125 मीट्रिक टन रह गया।

यदि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो अमेरिकन कपास 2004-05 में 2.5 बेल्स थीं, जो बढ़कर 2009-10 में 4 बेल्स हो गई। धान में भी वृद्धि दर में 25 प्रतिशत दर्ज की गई। बाजरा 400 किग्रा. से बढ़कर 2009-10 में 1200 किग्रा हो गया।

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से लगभग सभी फसलों के उत्पादन में प्रति हैक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि आई है, जो कि जिले की खुशहाली का प्रतीक है। जिला कपास, चना, जौ व मूंग में प्रति हैक्टेयर उत्पादन में राज्य में अग्रणी है।

प्रस्तावित शोध का उद्देश्य

अध्ययन क्षेत्र में जितनी तीव्र गति से कृषि विकास हो रहा है, उतनी ही तीव्र गति से कृषकों के सोचने समझने के तरीकों, रहन-सहन, खान-पान, सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है।

तालिका : सामाजिक रीति-रिवाज एवं परम्पराओं में सम्बन्ध (प्रतिशत में) 2008

| कुल परिवारों की संख्या | भूतप्रेत में | बालिका शिक्षा | बाल विवाह | विधवा विवाह | अर्न्त जातीय विवाह | स्त्रियों में आत्म निर्भरता | तलाक प्रथा | जाति प्रथा एवं अफ़स्यता | धार्मिक सद्भाव | पारिवारिक नियोजन | बाल मजदूरी |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| हाँ | 38.63 | 89.80 | 12.45 | 72.80 | 11.08 | 70.20 | 55.12 | 39.69 | 65.84 | 91.37 | 9.50 |
| नहीं | 61.37 | 10.2 | 87.55 | 27.2 | 88.92 | 29.80 | 44.88 | 60.31 | 34.16 | 9.63 | 90.5 |

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण 2008-09

ग्रामीण क्षेत्रों में 38.63 प्रतिशत परिवार भूत-प्रेत में विश्वास करते हैं। शेष 61.37 प्रतिशत भूत-प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। मानसिक (मनोवैज्ञानिक) समस्या मानकर डॉक्टरों के पास जाने लगते हैं। अभावग्रस्त (गरीबी) जिंदगी में किसान डोर-डंडे व झोले-छापों के चक्कर में पड़ा रहता है और वे उस कृषक परिवार का आर्थिक शोषण करते रहते हैं।

89.80 प्रतिशत परिवार बालिका शिक्षा के पक्ष में हैं, जो जानते हैं कि बालिका पढ़लिख कर पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकती है। 10.2 प्रतिशत परिवार बालिकाओं की जल्दी शादी करके अपने दायित्वों से मुक्त हो जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी करनी होती है।

ग्रामीण लोग बाल-विवाह के दुष्परिणामों से अवगत हो चुके हैं। 12.45 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो इसे उचित मानते हैं शेष परिवार बाल-विवाह के खिलाफ हैं। अध्ययनरत जिले में विधवा-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। सर्वे में 1000 परिवारों में से 72.80 प्रतिशत विधवा-विवाह को उचित बताते हैं शेष परिवार इसको सहमति नहीं प्रदान करते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ लोगों के मनोभावों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। जहाँ पहले लोग किसी विधवा को देखना तक पाप समझते थे एवं उसे किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता था, वहीं आज विधवा विवाह करवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

आज भी जिले में अर्न्तजातीय-विवाह ग्रामीण समाज की सहमति नहीं प्राप्त है। अध्ययन क्षेत्र में 11.08 प्रतिशत परिवारों ने ही इसके पक्ष में विचार दिये हैं जब शेष 88.92 प्रतिशत इससे सहमत नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में आज भी लोग कट्टर रूढ़िवादी हैं और हिन्दू समाज में जाति प्रथा की जड़े काफी गहरी हैं। मुस्लिम समुदाय भी अर्न्तजातिय विवाह के पक्ष में नहीं है।

कृषि से सामाजिक परिवेश में बदलाव हुआ जिससे महिला शिक्षा के साथ-साथ उनकी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता को बल मिला। पढ़ लिखकर महिलाओं ने सामाजिक-राजनैतिक दबाव समूह बनाये एवं सरकारी ढांचे का अंग बनकर अपनी हितेषी कानून बनवाये।

परिणामस्वरूप विभिन्न योजनाओं एवं नौकरियों में उनको आरक्षण प्रदान किया गया। ताकि पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के उत्पीड़न से सुरक्षा हो। 70.20 प्रतिशत परिवार आज महिलाओं की नौकरी के पक्ष में तथा मात्र 29.80 प्रतिशत परिवार ही इसके खिलाफ विचार दिये हैं। यह बदलाव एक विकसित सामाजिक सम्बन्ध का ही संकेत है।

जिले में तलाक प्रथा के पक्ष में 55.12 प्रतिशत परिवार तथा 44.88 प्रतिशत परिवार इसके विपक्ष में हैं। पहले इस प्रथा को सिर्फ मुस्लिम समाज में ही मान्यता प्राप्त थी तथा हिन्दू समाज में अच्छा नहीं मानते थे। हिन्दू समाज में यह मान्यता थी कि लड़की विवाह के असफल होने के बावजूद भी वह सभी प्रकार के उत्पीड़न को सहन करते हुए जीवनपर्यन्त वैवाहिक सम्बन्ध को तोड़ नहीं सकती तथा दूसरा विवाह अपराध समझा जाता था। आज औरतों के स्वावलम्बी होने से तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं क्योंकि स्वावलम्बी औरत उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकती इसका अर्थ यह है कि तलाक के मामले पति-पत्नी शांति से हल करें, गुस्से, जिद्द, नासमझी की वजह से तलाक न ले क्योंकि जिसके साथ दूसरी शादी करने जा रहे हैं हो सकता है उसका व्यवहार पहले वाले से बुरा हो।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष

हनुमानगढ़ जिले में कृषि सुधार से जनसंख्या वृद्धि से समाज में भारी परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र में जनसंख्या के उतरोत्तर वृद्धि होने से संयुक्त परिवारों में विभाजन हुआ है। वहीं जनसंख्या के उतरोत्तर बढ़ने से भू-जोतों का आकार भी कम हो गया है। वर्ष 1975 में भू-जोतों बड़े आकार के (50.0 हैक्टेयर) थे। वर्ष 2011 तक जनसंख्या के तीव्र बढ़ने से इन जोतों का आकार बहुत छोटे हो गए हैं। भू-जोत पैतृक सम्पत्ती है। अतः परिवार के बढ़ने पर पिता की सम्पत्ति पुत्र/पुत्री को प्राप्त होती है। भू-जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया, जिससे समाज में परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। भू-जोत छोटे होने के कारण उनका भरण-पोषण नहीं पाता है, अतः वो खेती करने लगे ताकि उनको रोजगार मिले अथवा वे लोग शहरों व कस्बों की ओर पलायन कर गये।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. Singh, B.N. 1975 Modernization of India Agriculture High Yielding Varieties and Green revolution Research Bulletin No. Eastern Geography Society Bhubaneswar Corissa P-09
2. Sisodia, J.S. 1968: Some aspects of High Yielding Varieties Programme of Indore District India Journal of Agricultural Econ. Mics Vol. XXIII, No-04, P-10
3. Boderup, E, 1965 : The conditions of Agricultural Growth. Allen and Linwin, London, PP-11.27.
4. Randhawa M.S. 1980 : A History of Agriculture in India, New Delhi : ICAR
5. Sharma, K.K. 1972 : Rajasthan District, Gazeteer, Jaipur, District Gazeteer of Rajasthan.

